

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला आगर मालवा

क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/228

आगर दिनांक 15/04/2020

- :: आदेश :: -

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक /एफ 10-20/ 2020 / 17 मेडी-2 भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। इसके संबंध में इस कार्यालय से भी समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 272 भोपाल दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

म.प्र. शास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र/ प्र.स./ स्वास/ सत्रह/ मेडी-3 / 596 भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के Section 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :-

1. आगर मालवा जिले की तहसील सुसनेर के ग्राम पंचायत पायली में पाये गये COVID-19 संक्रमित पोजिटिव केस की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पता
01	ग्राम पंचायत पायली तहसील सुसनेर

इन घरों को Epicenter घोषित करते हुए इन घरों के 0.5 कि.मी. की परिधी में आने वाले क्षेत्र को कन्टेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। ( "Containment Area" is defined as marking of first contact areas of the reported " Positive case" ) इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा। इससे लगे 01 कि.मी. की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है।

3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemic Diseases COVID-19 Regulation 2020 अन्तर्गत उक्त कन्टेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठन करता हूँ :-

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	पुलिस अधिकारी	नगर पालिका अधिकारी
ग्राम पंचायत पायली तहसील सुसनेर	श्रीमती अंजली जोसेफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर मालवा 94259-67897	श्री आर एस रावत SDOP सुसनेर 94799-98406	श्री हरिवल्लभ शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुसनेर 99265-11621

## कन्टेनमेंट एरिया

1. कन्टेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा अतः कन्टेनमेंट एरिया के अन्दर भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

2. कन्टेनमेंट एरिया एवं बफर जोन के बाहर के शेष नगरीय क्षेत्र को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

जिसके अन्तर्गत 01 मेडीकल आफिसर, 01 पेरा मेडीकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन व डायग्नोस्टिक स्टाफ का गठन किया जायेगा ।

4. उक्त क्षेत्र के एकजट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रेनिंग की जायेगी ।
5. समस्त वार्डवार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता - एलएचवी, ए.एन.एम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर (एम.पी.डब्ल्यू-टीबी एच व्ही) टीम वाईस ए.पी. सेन्टर प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा - 2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
6. समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मानिट्रिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण के सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर. टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे ।
7. समस्त COVID-19 संक्रमण के पाजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना आति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके ।
8. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा - ( विजिट अथवा दूरभाष के माध्यम से ) जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये, और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा ।
9. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित ) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग की जाना सुनिश्चित करे ।
10. नगर निगम / पालिका को जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा ।
11. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर / आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आयसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करवाना सुनिश्चित करे ।
12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

(संजय कुमार)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-आगर मालवा

आगर दिनांक 15/04/2020

पृ. क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 229/  
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला आगर मालवा की ओर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग आगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित श्री/ ..... की ओर पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-आगर मालवा